<u>अध्यक्ष छत्तीसगढ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा बिलासपुर(छ.ग.)</u>

नवीन निविदा विज्ञप्ति कमांक / क / 2022 बिलासपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2022

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा बिलासपुर छ0ग0 की ओर से जिला न्यायालय परिसर में कैंटिन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटो कापियर मशीन के संचालन हेतु पंजीकृत संस्थाओं से मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। वेबसाईड https://districts.ecourts.gov.in/india/chhattisgarh/bilaspur/tender निविदा प्रपत्र अनुसंलग्न–1. जो जिला न्यायालय के वेबसाइड में अपलोड किया गया है तथा न्यायालय के नोटिस बोर्ड / समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि के 07 (सात) दिवस के भीतर अर्थात दिनॉक 20 / 04 / 2022 तक कार्यालय दिवस में अध्यक्ष, छत्तीसगढ न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा बिलासपुर स्थान जिला न्यायालय बिलासपुर से आवेदन प्राप्त कर सकते है । कैंटीन, फोटो कापियर एवं सायकल स्टैण्ड हेतु पृथक–पृथक आवेदन देय होगा।

निविदा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 20 / 04 / 22
समय शाम 5 बजे तक।
निविदा आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 27 / 04 / 2022
समय शाम 5 बजे तक।
निविदा खोलने की तिथि 28 / 04 / 2022
समय शाम 5 बजे ।

निविदा संघ के अध्यक्ष एवं नियम– 2017 के अन्तर्गत गठित समिति के समक्ष सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति अथवा उसकी ओर से उपस्थित अभिकर्ता की उपस्थिति में खोली जाएगी।

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ राज्य, न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला शाखा बिलासपुर, (छ.ग.)

अनुसंलग्नक– 1

1. आमंत्रित किए गए निविदा को किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकेगा।

2. निविदा के लिए समय सीमा 30 दिन के भीतर।
3. निविदा को नीचे दिए गए पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट (एडी.) अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जावेगा।

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ राज्य, न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला न्यायालय परिसर, बिलासपुर,
पिन नंबर– 495001

यथा निर्धारित कार्यालय में जमा किया जावेगा।
4. सभी निविदाएं न्यूज़ पेपर में प्रकाशित अन्तिम तिथि 27-04-2022 के दोपहर 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा हो जाना चाहिए।
5. केण्टीन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटो कापियर मशीन संचालन हेतु प्राप्त पृथक–पृथक निविदा को क्रम से निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि की समाप्ति पर अगले ही कार्य दिवस पर संघ के अध्यक्ष एवं नियम– 2017 के अन्तर्गत गठित समिति के समक्ष सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति अथवा उसकी ओर से उपस्थित अभिकर्ता की उपस्थिति में निविदा खोली जाएगी।
6. सभी निविदा को खोलने के बाद जो भी उच्चतम बोली (दर) का सफल निविदाकर्ता होगा, की घोषणा पृथक–पृथक की जाएगी। अधिकृत अधिकारी द्वारा उस निविदाकर्ताओं को केण्टीन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटो कापियर मशीन संचालन की अनुमति अनुबंध के माध्यम से दिया जाएगा। साथ ही शेष निविदाकर्ता जो कि उक्त निविदा में सम्मिलित हुए पर सफल नहीं हुए, उनके द्वारा किए गए निविदा की 25 प्रतिशत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अगले 07 कार्य दिवस के भीतर जल्द से जल्द वापस कर दिया जाएगा।
7. सफल निविदाकर्ता को निविदा की शेष 75 प्रतिशत राशि अगले 07 कार्य दिवस के भीतर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जो कि अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी कल्याण समिति, शाखा बिलासपुर के नाम पर होनी चाहिए। अगर ऐसा करने में उक्त निविदाकर्ता सफल रहा तो उसका आवेदन एवं जमा राशि दोनों ही जब्त कर उसकी बोली को रद्द कर दिया जाएगा। उसे बोली की सम्पूर्ण राशि जमा 07 कार्य दिवस के भीतर जमा करने के पश्चात् ही उसके केण्टीन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटो कापियर मशीन संचालन हेतु अनुबंधित किया जाएगा तथा तभी उसे केण्टीन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटो कापियर मशीन संचालन की पात्रता होगी।
8. केण्टीन में बेची जाने वाली वस्तुएं बाजार दर से अधिक नही होग। यदि सम्भव हो तो उसकी दर बाजार दर से कम हो, यदि सम्भव हो तो सभी खाने की वस्तुएं एम.आर.पी. दर से कम में बेचनी होगी। कोई भी वस्तु एम.आर.पी. दर से अधिक नहीं बेची जाएगी। खाने की वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का

विशेष ध्यान केण्टीन संचालक द्वारा दिए जाने वाले स्नैक्स, पेय पदार्थ अथवा खाद्य पदार्थ होने चाहिए।

9. केण्टीन संचालक अपने रसोईयों तथा उनके सहायक को साफ एप्रॉन, वर्दी उपलब्ध कराएगा।

10. विद्युत, पानी एवं रख–रखाव जो कि जरूरी हो, वे सारे शुल्क केण्टीन सचालक द्वारा देय होगा। यह सायकल स्टैण्ड, फोटो कापियर मशीन संचालक पर भी लागू होगा।

11. केण्टीन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटो कापियर मशीन संचालक द्वारा लायसेंस/दो माह का किराया अग्रिम तौर पर संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा। यह दर 31 मार्च तक प्रचलित होगी, इसके बाद किराया केण्टीन की निविदा राशि का 05 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ाया जाएगा। केण्टीन संचालक को मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संघ के बैंक खाते में जमा करनी होगी। अगर केण्टीन संचालक नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो संघ द्वारा केण्टीन संचालक को सूचना देते हुए उसके अनुबंध को समाप्त कर सकेगा। यह सायकल स्टैण्ड, फोटो कापियर मशीन संचालक पर भी लागू होगा।

12. फोटो कापियर मशीन का संचांलन माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा जिला न्यायालय परिसर में उपलब्ध कराए गए स्थान पर सफल निविदाकर्ता के द्वारा अपने स्वयं की फोटोकापी मशीन संस्थापित करेगा, साथ ही उक्त फोटोकापी मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति स्वयं करेगा।

13. जिला न्यायालय परिसर में सायकल स्टैण्ड का संचालन सफल निविदाकर्ता सायकल स्टैण्ड में खड़े किए गए सायकलों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, साथ ही अगर किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में वह पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगा।

14. संघ, सायकल स्टैण्ड में विभिन्न प्रकार के वाहनों की दर तय करेगा, जो दैनिक/मासिक आधार पर होगी, जिसमें कर्मचारी/अधिवक्ता/पक्षकार शामिल होंगे।

15. निविदा एक बंद लिफाफे में होगी। लिफाफे के बाहर, अंदर रखे दस्तावेज का विवरण अभिलिखित किया जाना होगा।

16. निविदाएं जो निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त होंगे, उन्हें खोला नहीं जाएगा और वापस कर दिया जाएगा। ऐसी निविदाओं को वापस किए जाने का दिन एवं समय की जानकारी मोहरबंद लिफाफे में उल्लेखित होगी।

17. निविदाकर्ताओं को फर्म का पता उल्लेखित करना होगा।

18. केण्टीन हेतु न्यूनतम बोली राशि 12,000/– रू., सायकल स्टैण्ड हेतु 14,000/– रू. एवं फोटो कापियर मशीन संचालन हेतु 4,000/– रू. की राशि संघ द्वारा निर्धारित की गई है।

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ राज्य, न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला शाखा बिलासपुर, (छ.ग.)

केंटीन हेतु निविदा की शर्तें –

1– केंटीन संचालक द्वारा केंटीन में बेची जानी वाली वस्तुएं बाजार दर से अधिक नहीं होगी। यदि संभव हो तो सभी खाने की वस्तुएं एमआरपी दर से कम में दर में विक्रय करना होगा। कोई भी वस्तु एमआरपी दर से अधिक कीमत पर नहीं विक्रय किया जायेगा।

2– केंटीन संचालक खाने की वस्तु (स्नेक्स, पेय एवं खादय पदार्थ) की गणुवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगा।

3– केंटीन संचालक अपने रसोईया तथा उनके सहायक को एप्रान एवं वर्दी उपलब्ध करायेगा तथा अपने कर्मचारियों का व्यक्तिगत विवरण संघ के अध्यक्ष को उपलब्ध करायेगा।

4– केंटीन संचालक विद्युत, पानी एवं जो भी जरूरत/आवश्यक सुविधाओं के सारे शुल्क स्वंय वहन करेगा।

5– केंटीन संचालक लाईसेंस/दो माह का किराया अग्रिम रूप से संघ के बैंक खाता में जमा करेगा वह दर 31 मार्च तक प्रचलित होगा इसके बाद केंटीन की बोली की राशि का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष किराया बढ़ाया जावेगा।

6– केंटीन संचालक मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संघ के बैंक खाता में जमा करेगा यदि उक्त नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो संघ द्वारा केंटीन संचालक को सूचना देते हुए उसके अनुबंध को समाप्त कर सकेगा।

7– माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का यह अधिकार सुरक्षित होगा कि किसी शर्तों एवं सूचना के केंटीन हेतु अनुबंध समाप्त कर सकेगें।

8– केंटीन संचालक को यह अधिकार होगा कि वे 45 दिनों का नोटिस देकर केंटीन बंद करने की अनुमति एवं अनुबंध समाप्त कर सकेगा, उस स्थिति में संघ के अध्यक्ष द्वारा 45 दिनों के समाप्ति पर शेष राशि केंटीन संचालक को वापस करेगा।

9– केंटीन संचालक न्यायालय परिसर में कोई भी ऐसा कृत्य या आचरण नहीं करेगा जो न्यायालय के गरिमा के प्रतिकूल हो जैसे धूमपान, नशे, ताशपते, जुआ खेलने या खेलाने या कोई अन्य अपराध कार्य नहीं करेगा।

10– केंटीन संचालक को उक्त नियत स्थान पर ही अपना व्यवसाय करना होगा अपनी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से न तो अपना कार्य करेगा और न अन्य व्यक्ति को जगह देगा।

सायकल स्टैंण्ड हेतु निविदा की शर्ते –

1– सायकल स्टैण्ड संचालक लाईसेंस / दो माह का किराया अग्रिम रूप से संघ के बैंक खाता में जमा करेगा वह दर 31 मार्च तक प्रचलित होगा इसके बाद सायकल स्टैण्ड की बोली की राशि का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष किराया बढ़ाया जावेगा।

2– सायकल स्टैण्ड संचालक मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संघ के बैक खाता में जमा करेगा यदि उक्त नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो संघ द्वारा सायकल स्टैण्ड संचालक को सूचना देते हुए उसके अनुबंध को समाप्त कर सकेगा।

3– सायकल स्टैण्ड संचालक सायकल स्टैंण्ड में खडे किये गये वाहन की सुरक्षा सुनिश्चत करेगा साथ ही अगर किसी प्रकार की नुकसान होने की स्थिति में वह पूर्ण रूप से स्वंय जिम्मेदार होगा।

4– सायकल स्टैंण्ड संचालक सायकल, मोटर सायकल तथा चार पहिया वाहनों का दैनिक मासिक किराया संघ की सहमति से निर्धारित कर उसके अनुरूप किराया वसूल करेगा।

5– सायकल स्टैण्ड संचालक अपने सहायको को वर्दी उपलब्ध करायेगा तथा अपने कर्मचारियों की व्यक्तिगत विवरण संघ को देगा।

6– सायकल स्टैण्ड संचालक विद्युत, पानी एवं जो भी जरूरत / आवश्यक सुविधाओं के सारे शुल्क स्वंय वहन करेगा।

7– माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का यह अधिकार सुरक्षित होगा कि किसी शर्तों एवं सूचना के सायकल स्टैण्ड हेतु अनुबंध समाप्त कर सकेगें।

8– सायकल स्टैण्ड संचालक को यह अधिकार होगा कि वे 45 दिनों का नोटिस देकर सायकल स्टैण्ड बंद करने की अनुमति एवं अनुबंध समाप्त कर सकेगा, उस स्थिति में संघ के अध्यक्ष द्वारा 45 दिनों के समाप्ति पर शेष राशि सायकल स्टैण्ड संचालक को वापस करेगा।

9– सायकल स्टैण्ड संचालक न्यायालय परिसर में कोई भी ऐसा कृत्य या आचरण नहीं करेगा जो न्यायालय के गरिमा के प्रतिकूल हो जैसे ध्रुमपान, नशे, ताशपते, जुआ खेलने या खेलाने या कोई अन्य अपराध कार्य नहीं करेगा।

10– सायकल स्टैण्ड संचालक को उक्त नियत स्थान पर ही अपना व्यवसाय करना होगा अपनी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से न तो अपना कार्य करेगा और अन्य व्यक्ति को जगह देगा।

फोटोकापियर मशीन हेतु निविदा की शर्तें –

1– फोटोकापियर मशीन संचालक लाईसेंस/दो माह का किराया अग्रिम रूप से संघ के बैंक खाता में जमा करेगा वह दर 31 मार्च तक प्रचलित होगा इसके बाद सायकल स्टैण्ड की बोली की राशि का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष किराया बढ़ाया जावेगा।

2– फोटोकापियर मशीन संचालक मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संघ के बैक खाता में जमा करेगा यदि उक्त नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो संघ द्वारा फोटोकापियर मशीन संचालक को सूचना देते हुए उसके अनुबंध को समाप्त कर सकेगा।

3– फोटोकापियर मशीन संचालक संघ की सहमति से फोटोकापी की दर निर्धारित करेगा तथा फोटोकापी की राशि प्राप्त करेगा।

6– फोटोकापियर मशीन संचालक विद्युत, पानी एवं जो भी जरूरत/आवश्यक सुविधाओं के सारे शुल्क स्वंय वहन करेगा।

7– माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का यह अधिकार सुरक्षित होगा कि किसी शर्तों एवं सूचना के फोटोकापियर मशीन संचालक हेतु अनुबंध समाप्त कर सकेगें।

8– फोटोकापियर मशीन संचालक को यह अधिकार होगा कि वे 45 दिनों का नोटिस देकर फोटोकापी व्यवसाय बंद करने की अनुमति एवं अनुबंध समाप्त कर सकेगा, उस स्थिति में संघ के अध्यक्ष द्वारा 45 दिनों के समाप्ति पर शेष राशि फोटोकापियर मशीन संचालक को वापस करेगा।

9– फोटोकापियर मशीन संचालक न्यायालय परिसर में कोई भी ऐसा कृत्य या आचरण नहीं करेगा जो न्यायालय के गरिमा के प्रतिकूल हो जैसे धुमपान, नशे, ताशपते, जुआ खेलने या खेलाने या कोई अन्य अपराध कार्य नहीं करेगा।

10– फोटोकापियर मशीन संचालक को उक्त नियत स्थान पर ही अपना व्यवसाय करना होगा अपनी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से न तो अपना कार्य करेगा और अन्य व्यक्ति को जगह देगा।